



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र 1942 (श10)
(सं0 पटना 560) पटना, सोमवार, 14 सितम्बर 2020

सं०-3ए-2-वे०पु०-04/2020-4639/वि०

वित्त विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर 2020

विषय:- बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों के वेतनस्तर संशोधन के संबंध में।

वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 एवं संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के द्वारा क्रमशः दिनांक-01.01.2006 एवं दिनांक-01.01.2016 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) संवर्ग चिकित्सक शिक्षकों को दिनांक-01.01.2006 एवं दिनांक-01.01.2016 से निम्नलिखित वेतनमान/वेतनस्तर की स्वीकृति प्रदान की गई:-

क्र.सं.	पदनाम	दिनांक-01/01/2006 से स्वीकृत वेतनमान	दिनांक-01/01/2016 से स्वीकृत वेतनस्तर
1	सहायक प्राध्यापक (व्याख्याता)	PB-2+5400/-	Level-9
2	सह-प्राध्यापक (प्रवाचक)	PB-3+6600/-	Level-11
3	प्राध्यापक	PB-3+7600/-	Level-12

3. दिनांक-01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई थी कि आयुष संवर्ग नियमावली बनने के बाद आयुष एवं एलोपैथ प्रक्षेत्र में समान वेतनमान लागू होंगे। स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-152, दिनांक 09.02.2017 द्वारा बिहार आयुष (आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक) चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2017 अधिसूचित की गई है। अतएव वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के समान बिहार आयुष (आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक) चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के पदों के लिए वेतनस्तर का संशोधन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरांत बिहार आयुष (आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक) चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के लिए संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के द्वारा स्वीकृत वेतनस्तर को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	पदनाम	पूर्व से स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर		संशोधित वेतन स्तर
		अपुनरीक्षित	पुनरीक्षित	
1	सहायक प्राध्यापक (व्याख्याता)	PB-2+5400	Level-9	Level-11
2	सह-प्राध्यापक (प्रवाचक)	PB-3+6600	Level-11	Level-12
3	प्राध्यापक	PB-3+7600	Level-12	Level-13

5. उपर्युक्त संशोधित वेतनस्तर का लाभ संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 560-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>